निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आश्विन 1939 (श0)

(सं0 पटना 924) पटना, मंगलवार, 10 अक्तूबर 2017

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना

10 अक्तूबर 2017

एस०ओ० 207, दिनांक 10 अक्तूबर 2017—बिहार सरकार, वाणिज्य–कर विभाग की अधिसूचना संख्या 13/2017– राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 जिसे बिहार गजट के असाधारण अंक, संख्या पटना 556 दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, की सारणी में, क्रम संख्या 2 में, कॉलम (2) में,–

(2)
'' किसी व्यष्टिक अधिवक्ता, जिसके अंतर्गत कोई वरिष्ठ अधिवक्ता भी है, द्वारा किसी कराधेय राज्यक्षेत्र, जिसके अंतर्गत वह स्थान भी है, जहां ऐसी सेवाओं के उपबंध के लिए कोई संविदा किसी अन्य अधिवक्ता के माध्यम से की गयी थी, में अवस्थित किसी कारबार अस्तित्व को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु या अधिवक्ताओं की किसी फर्म द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से किसी कारबार अस्तित्व को विधिक सेवाओं के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सेवाएं।'',

के स्थान पर निम्न को पढ़ा जाए–

(2)
"किसी व्यक्ति विशेष अधिवक्ता जिसके अन्तर्गत कोई वरिष्ठ अधिवक्ता भी है या अधिवक्ताओं की फर्म, के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से विधिक सेवा के रुप में प्रदान की गयी सेवाएं। स्पष्टीकरणः– ''विधिक सेवा'' से विधि की किसी शाखा में किसी रीति में, किसी सलाह, परामर्श या सहायता के संबंध में उपलब्ध करायी गयी कोई सेवा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्वकारी सेवाएं सम्मिलित हैं। ''

[(सं०सं०–बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–20/2017–3694)]

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

10 अक्तूबर 2017

एस०ओ० 208, एस०ओ० 207, दिनांक 10 अक्तूबर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०–बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–20/2017–3694)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

The 10th October 2017

S.O. 207, dated the 10th October 2017— In the notification of the Government of Bihar in the Commercial Taxes Department No. 13/2017- State Tax (Rate), dated 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extra ordinary, vide no. 556 dated 29th June, 2017, in the Table, against serial number 2, in column (2), for -

(2)
"Services supplied by an individual advocate including a senior advocate by way of representational services before any court, tribunal or authority, directly or indirectly, to any business entity located in the taxable territory, including where contract for provision of such service has been entered through another advocate or a firm of advocates by way of legal services, directly or indirectly, to a business entity.",

read

(2)
"Services provided by an individual advocate including a senior advocate or firm of advocates by way of legal services, directly or indirectly. *Explanation*.- "legal service" means any service provided in relation to advice, consultancy or assistance in any branch of law, in any manner and includes representational services before any court, tribunal or authority.".

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-20 /2017-3694)]
By the order of Governor of Bihar,
SUJATA CHATURVEDI,
Commissioner-cum-Principal Secretary,
Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 924-571+10-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in